संख्या : 225 /V/2010-126(आ०)/10

प्रेषक,

पी०सी०शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।

आवास अनुभाग - 2 देहरादून : दिनांक : 03 फरवरी, 2011

विषय:-चकराता रोड चौड़ीकरण के फलस्वरूप विस्थापितों हेतु लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन परिसर घण्टाघर देहरादून में व्यवसायिक भवन एवं वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत दो कमरों के 96 आवासों के निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण के कार्यो के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 2993/2010, दिनांक 31.12.2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चकराता रोड चौड़ीकरण के फलस्वरूप विस्थापितों हेतु लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन परिसर घण्टाघर देहरादून में व्यवसायिक भवन एवं वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत दो कमरों के 96 आवासों के निर्माण कार्य हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा प्रेषित प्रथम चरण के कार्यो हेतु अनुमानित लागत रु० 56.86 लाख के आगणन के सापेक्ष तकनीकी परीक्षणोपरान्त संस्तुत लागत रु0 54.61 लाख (रु0 चौवन लाख इकसठ हजार मात्र) के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए सम्पूर्ण धनराशि को वित्तीय वर्ष-2010-2011 में राज्य आकस्मिकता निधि से अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नांकित प्रतिबन्धों सहित सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) राज्य आकस्मिकता निधि से आबंटित उक्त धनराशि का समायोजन यथासमय नई मांग के माध्यम से किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जायेगा ।

(2) यह भी सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त स्वीकृति से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय तथा व्यय उसी मद में किया जायेगा जिनके लिए यह धनराशि स्वीकत की जा रही है ।

(3) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं तद्विषयक निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन किया जायेगा ।

(4) कार्य करने से पूर्व मदवार विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा ।

(5) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(6) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मद्देनगर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों एवं विशिष्टयों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(7) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XVI-219(2006) दिनांक 30-5-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाए।

(8) यदि विभिन्न मदों हेतु स्वीकृत धनराशि अवशेष रहती है तो उक्त धनराशि द्वितीय चरण के आगणन में समायोजित की जाए ।

(9) कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2011 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

(11) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

3- स्वीकृत धनराशि का आहरण उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के हस्ताक्षर से सम्बन्धित आहरण बिल पर जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर से किया जायेगा तथा निर्माण एजेन्सी के सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा ।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रथमत: ''लेखाशीर्षक-8000-आकस्मिकता निधि-राज्य आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि का विनियोजन तथा अंतत: अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक ''2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-0312-भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वासन-24-वृहत निर्माण'' के नामें डाला जायेगा ।

भवदीय,

(पी०सी०शर्मा)
प्रमुख सचिव ।

संख्या :23 /XXVII(1)/रा.आ.निधि./2011-दिनांक-3.2.2011 ।

प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून को एक अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(एम०सी०जोशी)
अपर सचिव, वित्त

संख्या :2250)/V/2010-126(आ०)/10-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को मा० मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
3- जिलाधिकारी, देहरादून।
4- उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 ई-34, नेहरू कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
6- वित्त अनुभाग-2/वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन ।
7- एन०आई०सी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

03.02.11

(आर०के०सुधांशु)
अपर सचिव ।